न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण आवे./ /2018- निगरानी-4034/2018/गुना/भू.रा

1. जय प्रकाश पुत्र प्रेमनारायण नागर
2. हरिओम पुत्र सत्यनारायण नागर
3. प्रेमनारायण पुत्र मूलचंद नागर
4. सत्यनारायण पुत्र मूलचंद नागर
5. मुकेश पुत्र सुरेश सिंह
6. सुरेश पुत्र मूलचंद
7. जगदीश पुत्र सत्यनारायण
8. गोविन्द पुत्र सत्यनारायण
9. देवेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
10. कल्याणी बाई पत्नि प्रेमनारायण
11. कैलाशी बाई पत्नि सत्यनारायण
12. लीला बाई पत्नि सुरेश बाबू
13. विद्या बाई पत्नि बलजीत जाट
14. रतन पुत्र भैरो
15. चन्द्रकांता पत्नि शिवचरण धाकड़

निवासीगण-ग्राम चक पारसीखेड़ा (अजरोड़ा)
तहसील बमोरी जिला गुना (म.प्र.)
हाल निवासी-छबड़ा जिला बांरा (राजस्थान)

...आवेदकगण

श्री ...... द्वारा आज दि. 26.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12.7.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

26/06/18

बनाम

1. वख्शी सिंह पुत्र श्री हजरत सिंह जाति सिख
   निदासीगण-चक पारसीखेड़ा तहसील बमोरी
   जिला गुना (म.प्र.)
2. पटवारी ग्राम चक पारसीखेड़ा ...अनावेदक

<u>म.प्र. भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत अपील धारा 50 (प्रक.क्रं. 46 अ-12/2017-18) के आदेश दिनांक 05-05-18 अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार वृत फतेहगढ़ तहसील बमोरी के आदेश का पुनरीक्षण</u>

माननीय महोदय,

सादर रिवीजन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि आवेदकगणों और अनावेदकगण क्रं.1 के मध्य ग्राम चक पारसीखेड़ा की भूमि के प्रकरण क्रं. 70 अ-3/2016-17 के पारित आदेश दिनांक 02-10-17 पीठासीन अधिकारी न्यायालय नायव

....2

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 4034/2018/गुना/भू.रा. जिला- गुना

जय प्रकाश आदि विरूद्ध वख्सी सिंह अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-8-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत फतेहगढ तहसील बमोरी जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 46/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, जिला गुना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	